	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 29, गुरूवार, शाके 1947- नवम्बर 20, 2025 Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2025

संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/761 :-यह कि राज्य के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक प-9(89)राज-1/2023/अजमेर/ राजसमन्द दिनांक 03.08.2023 के द्वारा राजसमन्द जिले की तहसील भीम का पुनर्गठन किया जाकर राजसमन्द जिले की उप-तहसील बर(वर्तमान तहसील भीम) को तहसील ब्यावर जिला अजमेर मे शामिल किया गया था।

यह कि राज्य के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-9(18)राज-1/2022-(3) दिनांक 05.08.2023 तथा क्रमांक प-9(18)राज-1/2022-(14) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा अजमेर, पाली, भीलवाड़ा जिलो का पुनर्गठन किया जाकर नवीन जिले ब्यावर का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय ब्यावर रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, ब्यावर का गठन किया जाता है।

नवगठित जिला परिषद, ब्यावर का क्षेत्राधिकार, राजस्व विभाग की उपर्युक्त अधिसूचनाओं में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोडकर, समस्त क्षेत्र रहेगा तथा जिला परिषद अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमन्द के वर्तमान क्षेत्राधिकार से वह क्षेत्र पृथक रहेगा जो क्षेत्र नवगठित जिला परिषद, ब्यावर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है ।

जिला परिषद अजमेर, भीलवाडा, पाली, राजसमन्द वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जब नवीन जिला परिषद ब्यावर एवं पुनर्गठित जिला परिषद अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमन्द का कार्यकाल प्रारम्भ होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ0 जोगा राम,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।